फैक्स

सेवा में:– होम कन्ट्रोल/डीजीपी कन्ट्रोल, लखनऊ/इण्ट कन्ट्रोल/अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अपर पुलिस महानिदेशक अपराध उ.प्र.लखनऊ/अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ जोन, मेरठ/आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर/पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर।

प्रेषक :– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

पत्र संख्याः– एस0एम0सी0–सरा0कार्य/2023 दिनॉकः मार्च 26, 2023

:: सराहनीय कार्य ::

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना खतौली पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोटरसाइकिल, 01 मोबाईल, आलाकत्ल (01 चाकू, 01 हथौडा व 01 पत्थर) तथा मृतक का मोबाइल बरामद।

अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर में शातिर अपराधीयों के विरुद्ध श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संजीव सुमन महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी खतौली के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना खतौली के कुशल नेतृत्व में दिनांक 25.03.2023 की रात्रि को थाना खतौली पर नियुक्त उ0नि0 श्री मशकूर अली मय हमराहिगण है0का0 582 सन्नी अत्री,का0 1907 वीर सिंह के थाना हाजा से रवाना होकर थाना क्षेत्र में देखरेख शान्ति व्यवस्था तलाश दबिश वाछित अभियुक्त व मु0अ0सं0 115/23 धारा 302/201 भादवि में मामूर थे। पुलिस टीम जब फलावदा मोड पर पहुची तो रवानाशुदा उ0नि0 श्री मोहित चौधरी मय हमराहीगण का0 614 राहुल कुमार, का0 413 शिवम यादव, का0 1384 सुधीर शर्मा व का0 285 मोहित कुमार के उपस्थित आये। थाना खतौली पुलिस टीम जब अपराध रोकथाम सम्बन्धित बातचीत कर रहे थे तो मुखबिर खास ने आकर सूचना दी कि साहब गाँव शाहपुर में जो मर्डर हुआ है उसके हत्यारे मो0सा0 से सवार होकर कही जाने की फिराक में है वह गाँव शाहपुर से खतौली को ओर आ रहे है यदि जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास कर थाना खतौली पुलिस टीम मय मुखबिर के गाँव शाहपुर से खतौली की और आने वाले रास्ते पर ग्राम अतरपुरा से पहले काली मन्दिर के सामने आने वाले वाहन व व्यक्तियों की चौकिंग करने लगे तो कुछ देर बाद ही ग्राम शाहपुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती दिखायी दी जिस पर दो व्यक्ति सवार थे। मुखबिर द्वारा इशारा करके बताया गया कि यही दोनों व्यक्ति है जिन्होने हत्या की है और मुखबिर चला गया। थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा उक्त मोटरसाइकिल सवार दोनों व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया परन्तु मोटरसाइकिल चालक द्वारा मोटरसाइकिल को वापस मोड कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम द्वारा तत्पर्ता दिखाते हुए दोनों व्यक्तियों को भागने का मौका न देते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया। पुलिस टीम द्वारा जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो मोटरसाइकिल पर आगे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम गुलाब पुत्र नेम सिंह निवासी ग्राम शाहपुर थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर बताया तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अभिषेक पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बेलडा थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर बताया। अभियुक्तगण थाना खतौली पर पंजीकृत मु0अं0सं0 115/23 धारा 302/201 भादवि में वांछित थे जिन्हे थाना खतौली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 01 मोटोरोला मोबाइल व 01 मोटरसाइकिल डीएल 01 एसटी 8697 बरामद की गयी। उक्त मोटरसाइकिल के कागजात न होने पर उसे 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही से हत्या में प्रयुक्त हथौडा, पत्थर व छुरा एवं मृतक का मोबाइल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण– दिनांक 10.03.2023 को वादिया श्रीमति बबीता पत्नि सुभाष निवासी ग्राम शाहपुर थाना खतौली मुजफ्फरनगर ने थाना खतौली पुलिस को लिखित तहरीर देकर अवगत कराया कि उनका पुत्र कुलदीप उर्फ दीपक घर से गया था जो वापस नही आया है, इस सम्बन्ध में थाना खतौली पर गुमशुदगी दर्ज की गयी तथा कुलदीप उर्फ दीपक की बरामदगी हेतु प्रयास किये जाने लगे परन्तु दिनांक 12.03.2023 को ग्राम शाहपुर के बिटौडे में कुलदीप उर्फ दीपक का जली अवस्था में शव मिला जिसकी शिनाख्त उनकी माता द्वारा की गयी। इस सम्बन्ध में थाना खतौली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा क्षेत्राधिकारी खतौली

डॉ0 रविशंकर के नेतृत्व में अभियोग के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। आज दिनांक 26.03.2023 को थाना खतौली पुलिस द्वारा उक्त अभियोग का सफल अनावरण किया गया तथा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता–

1. गुलाब पुत्र नेम सिंह निवासी ग्राम शाहपुर थाना खतौली, मुजफ्फरनगर।
2. अभिषेक पुत्र राजकुमार सिंह निवासी ग्राम बेलडा थाना भोपा, मुजफ्फरनगर।

अभियुक्तगण से पूछताछ का विवरण/हत्या का कारण– प्रारम्भिक पूछताछ में अभियुक्त गुलाब उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मेरी शादी दिनांक 09.03.2023 को थी जिस कारण मैने मृतक कुलदीप उर्फ दीपक से ब्याज पर 25 हजार रुपये ले रखे थे। मृतक कुलदीप बार बार अपने पैसे ब्याज सहित मांगता था परन्तु मेरे पास इतने पैसे नही हो पा रहे थे। दिनांक 21.02.2023 को मेरी मोटर साईकिल मृतक कुलदीप की मोटर साईकिल से टकरा गई जिस पर कुलदीप ने मुझे बुरा भला कहते हुये मार पीट कर धमकी दी कि मेरे पैसे ब्याज सहित लोटा दे नही तुझे जान से मार दूंगा। इससे मुझे अपनी बेइजत्ती महसूस हुई तथा अपनी शादी के बाद मैने अपने दोस्त अभिषेक उपरोक्त के साथ कुलदीप को मारने की योजना बनायी। दिनांक 10.03.2023 के मैने कुलदीप उपरोक्त को शादी की दावत देने के बहाने गांव के बाहर बुलाया तथा साथ बैठ कर बीयर पी। नशा होने के उपरान्त तथा अंधेरे का फायदा उठाकर मैने व मेरे मित्र अभिषेक ने कुलदीप के सर पर हथोडे व पत्थर से वार किये तथा छुरे से कुलदीप की गर्दन पर 2–3 वार किये जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इसके उपरान्त हमने पास में ही खडे बिटोडे में कुलदीप के शव को छिपा दिया तथा दिनांक 11/12.03.2023की रात्रि करीब 02 बजे हम दोनों द्वारा सबूत मिटाने के उद्देश्य से अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर कुलदीप की लाश को आग लगा दी थी।

बरामदगी का विवरण–

➡01 पेशन प्रो मोटरसाईकिल नम्बर डीएल 01 एसटी 8697
➡01 मोबाईल फोन मोटोरोला
➡01 चाकू (आलाकत्ल)
➡01 हथौडा (आलाकत्ल)
➡01 पत्थर (आलाकत्ल)
➡01 मोबाईल (मृतक कुलदीप का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. उ0नि0 श्री मकसूर अली, थाना खतौली, मुजफ्फरनगर।
2. उ0नि0 श्री मोहित चौधरी थाना खतौली, मुजफ्फरनगर।
3. है0का0 582 सन्नी अत्री थाना खतौली, मुजफ्फरनगर।
4. का0 614 राहुल कुमार थाना खतौली, मुजफ्फरनगर।
5. का0 413 शिवम, थाना खतौली, मुजफ्फरनगर।
6. का0 1394 सुधीर शर्मा थाना खतौली, मुजफ्फरनगर।
7. का0 285 मोहित कुमार थाना खतौली, मुजफ्फरनगर।
8. का0 1907 वीर सिंह थाना खतौली, मुजफ्फरनगर।

आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
मुजफ्फरनगर।